संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, नया रायपुर छत्तीसगढ़

Directorate of Town & Country Planning, Naya Raipur Chhattisgarh

मुख्यालय
इन्द्रावती
भवन,ब्लाक–4,तृतीय तल,
नया रायपुर
दूरभाष – 0771–2511851
फैक्स – 0771–2511854
Email :

HEAD OFFICE :
Indrawati Bhawan, Block-4 3rd Flour,
Naya Raipur
Tel. :- 0771-2511851
Fax: - 0771-2511854
Email : cg_townplan@hotmail.com
Email : cgtownplan@gmail.com

–::आदेश::–

नया रायपुर, दिनांक............/12/2017

क्रमांक/ /स्था–10/नग्रानि./2017, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ 20–4/2015/आ.प्र./1–3, नया रायपुर दिनांक 25/08/2015 के परिपालन में दिव्यांगजनों के बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान अंतर्गत गठित विभागीय चयन समिति की अनुशंसा उपरांत निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक–2 में उल्लेखित अभ्यर्थी को उप–अभियंता के पद पर पुनरीक्षित वेतन 35400–112400 (लेवल–8) एवं शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते, में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाकर उनकी पदस्थापना सारणी के स्तम्भ क्रमांक–3 में दर्शाए गए कार्यालय में की जाती है :–

क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पदस्थापना कार्यालय संचालनालय/क्षेत्रीय कार्यालय	चयनित प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संदीप पटेल, पिता श्री फुल सिंह पटेल	कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग	अनारक्षित दिव्यांग (OA, OL, HH)

नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :–

01. नियुक्ति, दो वर्ष की परिवीक्षाधीन रहेगी एवं परिवीक्षा अवधि में कार्य संपादन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षाधीन अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवा समाप्त की जा सकती है।
02. अभ्यार्थी को नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से 30 दिवस के अंदर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा। इस संबंध में कार्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
03. उपरोक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थी जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट संबंधित कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करेंगे। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
04. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। कोई विपरीत टीप/अपराधिक प्रकरण लंबित होने पर अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

क्रमशः.....2